



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मई 2015—वैशाख 28, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् श्रम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील के निराकरण पदनाम	प्रथम अपील की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.15	अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत जारी पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करना।	जिला स्तरीय श्रम अधिकारी/जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रमायुक्त।	30 कार्य दिवस।	कलेक्टर	30 कार्य दिवस।	संभाग आयुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.16	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करना.	जिला स्तरीय श्रम अधिकारी / जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रमायुक्त.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त
2.17	मोटर एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीयन का प्रदाय	राजपत्रित श्रेणी का जिला स्तरीय श्रम अधिकारी / जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रमायुक्त.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचना क्र. एफ. 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र दिनांक 23 दिसम्बर 2014 में श्रम विभाग से संबंधित सेवाओं (2.11 एवं 2.12) को विलोपित करते हुए श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

#### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.11	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा की धारा 6, 7 सहपठित नियम 6 के अंतर्गत गैर खरतनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञित जारी किया जाना.	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म. प्र. इन्दौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम आयुक्त, म. प्र. इंदौर.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव / सचिव, श्रम विभाग.
2.12 (क)	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की धारा 6, 7 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत गैर खरतनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञित का नवीनीकरण/संशोधन किया जाना. 250 श्रमिक से अधिक का नियोजन.	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म. प्र. इन्दौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम आयुक्त, म. प्र. इंदौर.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव / सचिव, श्रम विभाग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(ख) कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की धारा 6, 7 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञाप्ति का नवीनीकरण/संशोधन किया जाना। -101 से 250 श्रमिक तक का नियोजन.	अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक सम्बंधित क्षेत्र (संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म. प्र. इन्दौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म. प्र. इन्दौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम आयुक्त, म. प्र. इंदौर.
(ग) कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की धारा 6, 7 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञाप्ति का नवीनीकरण/संशोधन किया जाना। -10 से 100 श्रमिक तक का नियोजन.	संयुक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक, सम्बंधित क्षेत्र (उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक, सम्बंधित क्षेत्र (संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म. प्र. इंदौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	
कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की धारा 6, 7 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञाप्ति का नवीनीकरण/संशोधन किया जाना। -09 श्रमिक तक का नियोजन.	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, सम्बंधित क्षेत्र (सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	संयुक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक, सम्बंधित क्षेत्र (उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक, सम्बंधित क्षेत्र (संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.